सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

का

208वाँ प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से संबंधित कंडिका संख्या 4.1 पर समिति का 208वाँ प्रतिवेदन ।

(दिनांक 16.03.2020 ....20.....(ई०) को सदन में उपस्थापित)

विषय–सूची

		पृष्ठ
1.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन वर्ष 2018–20	क
2.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन वर्ष 2016–18	ख
3.	सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण / प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय / विभागीय पदाधिकारीगण / निगम के पदाधिकारीगण।	ग
4.	प्राक्कथन	घ
5.	प्रतिवेदन	1–3
6.	परिशिष्ट	4–15
7.	कार्यवाही	16–19

बिहार विधान सभा सचिवालय

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2018–20 तक की अवधि के लिये गठित माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

1. श्री हरिनारायण सिंह	स0वि0स0

सदस्यगण

1. श्री रामदेव राय	स0वि0स0
2. श्री श्रीनारायण यादव	स0वि0स0
3. श्री अनिल सिंह	स0वि0स0
4. श्री नीरज कुमार	स0वि0स0
5. श्री आलोक कुमार मेहता	स0वि0स0
6. श्री मुनेश्वर चौधरी	स0वि0स0
7. श्री रामचन्द्र सहनी	स0वि0स0
8. श्री रामचन्द्र भारती	स0वि0प0
9. श्री संजीव श्याम सिंह	स0वि0प0
10. श्री संजय प्रसाद	स0वि0प0

बिहार विधान सभा सचिवालय

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2016–18 तक की अवधि के लिये गठित माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

1. श्री हरिनारायण सिंह स0वि0स0

सदस्यगण

1. श्री नरेन्द्र नारायण यादव स0वि0स0
2. श्री रामदेव राय स0वि0स0
3. श्री अनिल सिंह स0वि0स0
4. श्री ललन पासवान स0वि0स0
5. श्री जितेन्द्र कुमार राय स0वि0स0
6. श्री नीरज कुमार स0वि0स0
7. श्री आलोक कुमार मेहता स0वि0स0
8. श्री मुनेश्वर चौधरी स0वि0स0
9. श्री कृष्ण कुमार सिंह स0वि0स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

1.	श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय	सचिव
2.	श्री भूदेव राय	निदेशक
3.	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	अवर–सचिव
4.	श्री छोटे पासवान	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	सहायक
6.	श्री अमितेष कुमार	सहायक
7.	श्री राहुल तिवारी	सहायक

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय

1.	श्री सोहन लाल साहू	उप–महालेखाकार
2.	श्री सुजय कुमार सिन्हा	वरीय लेखापरीक्षा आधिकारी / प्रति० (वाणिज्यिक)
3.	श्री कुमार विकास	सहायक लेखापरीक्षा आधिकारी (कोपू)

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

1.	श्री चन्द्रशेखर	अपर–सचिव

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

1.	श्री जफर आलम	डिप्टी जी० एम० ऑडिट
2.	श्री सुगंधय चतुर्वेदी	जी० एम० फाइनेंस
3.	श्री प्रफुल कुमार आर्य,	अवर–सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की हैसियत से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की कंडिका संख्या 4.1 पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन संख्या 208वाँ प्रस्तुत करता हूँ।

यह प्रतिवेदन दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अथक परिश्रम से समिति को जो सहयोग दिया है वह सराहनीय है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

पटना :
दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 (ई०)।

हरिनारायण सिंह,
सभापति,
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति,
बिहार विधान सभा।

प्रतिवेदन

सी०ए०जी० का 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की पृष्ठ संख्या 81 एवं 82 पर द्रष्टव्य।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

4.1 मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अनुदान रू0 चार करोड़

कम्पनी द्वारा अपने साधारण सभा में पूर्व अनुमति के बिना रू0 चार करोड़ के दान का निर्णय न केवल अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघनों में परिणत हुआ बल्कि वित्तीय दूरदर्शिता की व्यवस्था के भी प्रतिकूल था।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (ई) एक सार्वजनिक/निजी कम्पनी के निदेश्का मंडल के धर्मार्थ एवं अन्य कोष में दान देने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध न हो तथा जो किसी वित्तीय वर्ष में रू0 पचास हजार या विगत तीन वर्षों के औसत लाभ के पाँच प्रतिशत, दोनों में जो ज्यादा हो, अधिक हो। जहाँ भी अंशदान उपर्युक्त सीमा से अधिक हो, वहाँ कम्पनी की साधारण सभा की पूर्व अनुमति से ऐसा किया जाना चाहिए ।

हमारे प्रेक्षण (मार्च 2010) में पाया गया कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी), जो एक सार्वजनिक कम्पनी है, ने रू0 एक करोड़ का (विगत तीन वर्षों के अपने औसत लाभ का 16.23 प्रतिशत) का अनुदान (अगस्त 2007) तथ पुनः रू0 तीन करोड़ (अपने विगत तीन वर्षों के अपने औसत लाभ का 60.61 प्रतिशत) का अनुदान (जुलाई 2008) में मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया, जैसा कि दान की यह राशि अधिनिमय के अनुसार साधारण सभा में अनुमति हेतु ले जानी चाहिए थी परन्तु कम्पनी ने ऐसा नहीं किया।

अतः कम्पनी द्वारा अपनी साधारण सभा की पूर्व अनुमति के बिना रू0 चार करोड़ (रू0 एक करोड़ 2007–08 में तथा रू0 तीन करोड़ 2008–09 में) का दान, जो इसके विगत तीन वर्षों के औसत लाभ के पाँच प्रतिशत से अधिक था, न सिर्फ अधिनियम का उल्लंघन करता है बल्कि वित्तीय दूरदर्शिता की व्यवस्था के भी प्रतिकूल था।

प्रबंधन ने बताया (जून 2010) कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (ई) के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में रु0 चार करोड़ के भुगतान की स्वीकृति अगले वार्षिक साधारण सभा (ए0 जी0 एम0) में भूतलक्षी प्रभाव से ले ली जाएगी ।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने कोष में दान हेतु किसी विशेष माँग की जानकारी दस्तावेजों से नहीं पायी गयी है। तथापि, यह विषय भूतलक्षी प्रभाव द्वारा नियमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस धारा के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग कम्पनी की साधारण सभा की पूर्व सहमति से ही किया जा सकता है।

कम्पनी द्वारा धर्मार्थ एवं अन्य कोषों में इस प्रकार के किसी दान देने के पूर्व कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के कल्याण से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध न हों।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2010) उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

विभागीय उत्तर

वर्ष 2007 में भीषण बाढ़ आने के कारण उत्तरी बिहार के लगभग संपूर्ण भाग बाढ़ से प्रभावित था। उत्तरी बिहार में बाढ़ की उत्पन्न भयावह स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन में सहयोग प्रदान करने पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जाने वाली अनुदान राशि आयकर अधिनिमय,1961 धारा 80 G के प्रावधान के तहत शत–प्रतिशत आयकर से छूट योग्य है। आयकर अधिनियम की धारा–1961 की धारा–80 G (I) (i) (iii hf) के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के राहत कोष में अनुदान के रूप में राशि दी गई। मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई अनुदान राशि की घटनोत्तर स्वीकृति निगम निदेशक पर्षद से प्राप्त है। जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट–2 के रूप में संलग्न है। मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान के रूप में दी गई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति दिनांक 16 जुलाई, 2010 को आहूत शेयर धारकों की आम सभा में भी प्राप्त कर लिया गया है जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट–3 के रूप में संलग्न है।

विभागीय मंतव्य

अनुदान की राशि का घटनोत्तर स्वीकृति द्वारा नियमितीकरण करा दिया गया है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 5073, दिनांक 3 जुलाई, 2015 द्वारा उत्तर प्राप्त।

परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 4 से 15 पद द्रष्टव्य।

समिति का निष्कर्ष/अनुशंसा

दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 की बैठक में समिति द्वारा यह माना गया कि घटनोत्तर स्वीकृति दिया जाना गलत है एवं इस घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इस निदेश के साथ इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया ।

दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को समिति की बैठक की कार्यवाही परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 19 पर द्रष्टव्य।

पटना :
दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 (ई0)।

हरिनारायण सिंह,
सभापति,
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति,
बिहार विधान सभा।

संo प्र0–5(2) बजट(नि0महा0परीक्षा) प्रति–05/2015–5073/खाद्य

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रेषक

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में

श्री पवन कुमार सिन्हा,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 3 जुलाई, 2015 ।

विषय––बिहार विधान सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की मुख्य समिति की बैठक के आलोक में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यक) वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लंबित कंडिकाओं के संदर्भ में प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग––आपका पत्रांक 2460, दिनांक 10 जून, 2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार विधान सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की मुख्य समिति की दिनांक 9 जुलाई, 2015 को आहूत बैठक के संदर्भ में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लंबित कंडिकाओं पर कंडिकावार सुस्पष्ट मंतव्य/प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :––

कंडिका	कंडिकावार अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्ति पर बिहार राज्य खाद्य निगम का कंडिकावार मंतव्य/प्रतिवेदन	विभागीय मंतव्य
1.37	क्षतिग्रस्त/दोषपूर्ण अनाजों को अपलेखित नहीं करने के फलस्वरूप 41.94 लाख रुपये से सामग्रियों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतः प्रदर्शन।	निगम में क्षतिग्रत/दोषपूर्ण खाद्यान्नों को निलामी के माध्यम निष्पादित करने का प्रावधान है। गत वर्षों के क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की निलामी अभी प्रक्रियाधीन है एवं प्रबंधन के आदेश के अनुसार निलामी की जाती है। निलामी करने के पश्चात् खाद्यान्नों का पूर्ण मूल्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अवशेष राशि का निगम निदेशक पर्षद की सहमति से अपलेखन की कार्रवाई की जाती है। वर्ष 1990–91 में निगम द्वारा 178572.78 रु0 मात्र का क्षति ग्रस्त चावल का निष्पादन किया गया है। वर्ष 1990–91 की बालेन्स सीट की छायाप्रति परिशिष्ट–1 से रूप में संलग्न है। संलग्न है। महालेखाकार द्वारा क्षति ग्रस्त/दोषपूर्ण अनाजों को अपलेखित नहीं करने के फलस्वरूप 41.94 लाख रुपये की हुई हानि के लिए अंकेक्षण आपत्ति की गई है, परन्तु संबंधित सूची संलग्न नहीं की गई है। सूची उपलब्ध कराने पर अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी ।	राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची उपलब्ध होने पर निगम के प्रतिवेदन के आधार पर विभाग का मंतव्य प्रेषित कर दिया जायेगा ।

कंडिका	कंडिकावार अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्ति पर बिहार राज्य खाद्य निगम का कंडिकावार मंतव्य/प्रतिवेदन	विभागीय मंतव्य
4.1	मुख्य मंत्री राहत कोष में अनियमित अनुदान।	वर्ष 2007 में भीषण बाढ़ आने के कारण उत्तरी बिहार के लगभग संपूर्ण भाग बाढ़ से प्रभावित था। उत्तर बिहार में बाढ़ की उत्पन्न भयावह स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन में सहयोग प्रदान करने पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जाने वाली अनुदान राशि आयकर अधिनियम,1961 धारा–80 G के प्रावधान के तहत शत–प्रतिशत आयकर से छूट योग्य है। आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा–80 G (I) (i) (iii hf) के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के राहत कोष में अनुदान के रूप में राशि दी गई। मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई अनुदान राशि की घटनोत्तर स्वीकृति निगम निदेशक पर्षद से प्राप्त है। जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट–2 के रूप में संलग्न है। मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान के रूप में दी गई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति दिनांक 16 जुलाई, 2010 को आहूत शेयर धारकों की आम सभा में भी प्राप्त कर लिया गया है जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट–3 के रूप में संलग्न है।	अनुदान की राशि का घटनोत्तर स्वीकृति द्वारा नियमितीकरण करा दिया गया है।
4.2	अनाज का संदेहास्पद गबन।	खगड़िया जिले के मानसी रेल हेड से बाढ़ राहत कार्य हेतु जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों से खाद्यान्न की ढुलाई की गयी थी। मानसी रेल हेड से खाद्यान्न की ढुलाई जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों की देख–रेख में उपलब्ध कराये गये वाहनों से कराई गयी थी। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नं0 अंकित था और रेल हेड से खाद्यान्न उठाने के लिए समय निर्धारित था। रेलवे द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर खाद्यान्न का उठाव नहीं किये जाने पर वारफेज एवं डेमरेज का भुगतान निगम को करना पड़ता। खाद्यान्न उठाने के लिए समय की कमी को देखते हुए बाढ़ जैसे विकट परिस्थिति को ध्यान में रख कर जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों से खाद्यान्न ढुलाई करायी गयी थी। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों पर अंकित रजिस्ट्रेशन सं0 को ही ट्रक चलानों पर अंकित किया गया था। अंकेक्षण प्रतिवेदन में बाढ़ राहत कार्य हेतु रेल हेड से वाहनों से ढुलाई गयी खाद्यान्न पर आपत्ति की गयी है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में जिन वाहनों से खाद्यान्न।	खाद्यान्न को जिला प्रशासन द्वारा वास्तविक रूप में स्टॉक में लिये जाने एवं वितरित किये जाने का तथ्य निगम द्वारा अंकित किया गया है।

सं0 05:05:443:01:2015—7524

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0

सोन भवन, 5वीं मंजिल वीर चन्द पटेल पथ, पटना—800001

प्रेषक

अरविन्द कुमार सिंह, भा0 प्र0 से0,
प्रबन्ध निदेशक।

सेवा में

सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 30 जून, 2015 ।

विषय—भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यक) वर्ष 2008—09 एवं 2009—10 के लंबित कंडिकाओं का संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन ।

प्रसंग—आपका पत्रांक 4253, दिनांक 27 मई, 2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकेक्षण आपत्ति पर कंडिकावार सुस्पष्ट मंतव्य एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

कंडिका	कंडिकावार अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्ति पर कंडिकावार मंतव्य/प्रतिवेदन
1.37	क्षतिग्रत/दोषपूर्ण अनाजों को अपलेखित नहीं करने के फलस्वरूप 41.94 लाख रुपये से सामग्रियों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतः प्रदर्शन।	निगम में क्षतिग्रत/दोषपूर्ण खाद्यान्नों को निलामी के माध्यम निष्पादित करने का प्रावधान है। गत वर्षों के क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की निलामी अभी प्रक्रियाधीन है एवं प्रबंधन के आदेश के अनुसार निलामी की जाती है। निलामी करने के पश्चात् खाद्यान्नों का पूर्ण मूल्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अवशेष राशि का निगम निदेशक पर्षद की सहमति से अपलेखन की कार्रवाई की जाती है। वर्ष 1990—91 में निगम द्वारा 178572.78 रु0 मात्र का क्षति ग्रस्त चावल का निष्पादन किया गया है। वर्ष 1990—91 की बैलेन्स सीट की छायाप्रति परिशिष्ट—1 से रूप में संलग्न है। संलग्न है। महालेखाकार द्वारा क्षति ग्रस्त/दोषपूर्ण अनाजों को अपलेखित नहीं करने के फलस्वरूप 41.94 लाख रुपये की हुई हानि के लिए अंकेक्षण आपत्ति की गई है, परन्तु संबंधित सूची संलग्न नहीं की गई है। सूची उपलब्ध कराने पर अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी ।
4.1	मुख्य मंत्री राहत कोष में अनियमित अनुदान।	वर्ष 2007 में भीषण बाढ़ आने के कारण उत्तरी बिहार के लगभग संपूर्ण भाग बाढ़ से प्रभावित था। उत्तर बिहार में बाढ़ की उत्पन्न भयावह स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन में सहयोग प्रदान करने पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जाने वाली अनुदान राशि आयकर अधिनियम,1961 धारा—80 G के प्रावधान के तहत शत—प्रतिशत आयकर से छूट योग्य है। आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा—80 G (I) (I) (iii hf) के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के राहत कोष में अनुदान के रूप में राशि दी गई। मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई अनुदान राशि की घटनोत्तर स्वीकृति निगम निदेशक पर्षद से प्राप्त है। जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट—2 के रूप में संलग्न है। मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान के रूप में दी गई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति दिनांक 16 जुलाई, 2010 को आहूत शेयर धारकों की आम सभा में भी प्राप्त कर लिया गया है जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट—3 के रूप में संलग्न है।
4.2	अनाज का संदेहास्पद गबन।	खगड़िया जिले के मानसी रेल हेड से बाढ़ राहत कार्य हेतु जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों से खाद्यान्न की ढुलाई की गयी थी। मानसी रेल हेड से खाद्यान्न की ढुलाई जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों की देख—रेख हुई।

परिशिष्ट–1

परिचालन द्वारा निदेशक पर्षद से प्रस्ताव में स्वीकृति के संबंध में ।

विषय—भीषण बाढ़ से प्रभावित उत्तरी बिहार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में बाढ़ साहाय्य/अनुदान के संबंध में ।

उत्तरी बिहार के लगभग सम्पूर्ण भाग भीषण बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति अत्यन्त भयावह है।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का कार्यकलाप पूरे बिहार एवं झारखण्ड में फैला हुआ है। निगम का कार्यकलाप उत्तरी बिहार में होने के साथ–साथ इसके जिला इकाई का मुख्यालय वैशाली, छपरा, गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णियाँ एवं सहरसा में स्थित है। इस प्रकार निगम गहन रूप से उत्तरी बिहार में कार्यरत है।

विगत माह से सम्पूर्ण उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में है। अतएव यह युक्तिसंगत होगा कि निगम जिस उत्तरी बिहार से प्रतिवर्ष आय अर्जित कर रहा है, उस बाढ़ग्रस्त आपदा प्रबंधन में सहयोग प्रदान करे। निगम वर्ष 2005–06 से लाभ अर्जित कर रहा है। वर्ष 2005–06 में निगम का शुद्ध लाभ (Net Profit) 9.07 करोड़ रुपये है। वर्ष 2006–07 का अन्तिम लेखा तैयार किया जा रहा है। निगम द्वारा वर्ष 2006–07 में लगभग 21.17 मे0 टन खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया गया है एवं इस वर्ष भी लाभ होने की सम्भावना है। वर्ष 2007–08 प्रथम तिमाही में निगम द्वारा लगभग 6.34 मे0 टन खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अभी तक बाढ़ साहाय्य मद में 30.04 हजार मे0 टन खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961, धारा 80 जी0 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री राहत कोष में दी जानेवाली राशि शत–प्रतिशत आयकर से छूट योग्य है यह प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 80 G (I) (i) (iii hf) के अन्तर्गत वर्णित है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में नियम का प्रस्ताव है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए बाढ़ राहत मद में मुख्य मंत्री राहत कोष में एक करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाय। निगम इस राशि को अपने स्रोत से देने में सक्षम है।

अतः अनुरोध है कि मुख्य मंत्री राहत कोष में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए एक करोड़ रुपये के सहाय्य /अनुदान के भुगतान में स्वीकृति/अनुमोदित करने की कृपा प्रदान की जाय ।

(ह0) अस्पष्ट,
प्रबंध निदेशक।

1. श्री अनूप मूखर्जी, भा0 प्र0 से0	–	निदेशक	(ह0) अस्पष्ट,
2. श्री एन0 एस0 माधवन, भा0 प्र0 से0	–	निदेशक	(ह0) अस्पष्ट,
3. श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0 प्र0 से0	–	प्रबंध निदेशक	(ह0) अस्पष्ट,
4. श्री सुनील कुमार सिंह	–	निदेशक	(ह0) अस्पष्ट,

दिनांक 24 सितम्बर, 2008 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना के कार्यालय कक्ष में बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि० के निदेशक पर्षद की 130वीं बैठक की कार्यावाही ।

<u>उपस्थिति:—</u>

1. श्री अनुप मुखर्जी, भा० प्र० से० — निदेशक
2. श्री त्रिपुरारि शरण, भा० प्र० से० — निदेशक
3. श्री कुन्दन कुमार, भा० प्र० से० — प्रबंध निदेशक
4. श्री सुनील कुमार सिंह, बि० प्र० से० — निदेशक

निदेशक पर्षद की बैठक की अध्यक्षता प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, श्री अनूप मुखर्जी, भा० प्र० से० के द्वारा की गयी। श्री कुन्दन कुमार, प्रबंध निदेशक के द्वारा क्रमवार कार्यावली प्रस्तुत की गयी एवं निम्नांकित निर्णय लिये गये :—

क्र० सं०	प्रस्ताव	निर्णय
130.1	दिनांक 10 जून, 2008 को हुई निदेशक पर्षद की 129वीं बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की जाय।	सम्पुष्टि की गई।
130.2	निदेशक पर्षद की 129वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन प्रस्तुत किया गया।	अवलोकित। 129वीं बैठक के अनुपालन पर चर्चा के संदर्भ में निम्न निर्णय लिये गये:— *(i)* ए० सी० पी० का लाभ निगम कर्मियों को देने के लिए निर्णयानुसार अपने प्रशासी विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को संबंधित संचिका शीघ्र भेजी जाय तथा परिपत्र के अनुरूप वित्तीय आकलन का गणना कर पर्षद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । *(ii)* भारतीय जीवन बीमा निगम से Lapsed Policy के विरुद्ध उपलब्ध राशि वापस ले ली जाय क्योंकि इस पर कोई ब्याज भी प्राप्त नहीं हो रहा है। *(iii)* Arrear Accounts के संवैधानिक अंकेक्षण कार्य में पिछले कई महनों से कोई प्रगति नहीं है। Arrear Accounts के अंकेक्षण में प्रगति लाने के विषय पर सम्यक् विचार—विमर्श के उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि संवैधानिक अंकेक्षण से उच्चस्तरीय वार्ता की जाय एवं निगम के संगठन में प्रस्तावित व्यवस्था की जाय।

क्र0 सं0	प्रस्ताव	निर्णय
		जिससे कि प्रत्येक 2–3 माह के उपरान्त एक वर्ष के लेखा का अंकेक्षण कर्य पूरा हो जाय। कम–से–कम चार वर्ष के लेखा का अंकेक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो । (*iv*) संवैधानिक अंकेक्षण के स्तर पर अंकेक्षण कार्य में विलम्ब हो रहा है, तो उन्हें आवंटित अन्य सरकारी उपक्रमों के कार्यों में कैसी प्रगति है, का पता लगाया जाय। साथ ही पिछले संवैधानिक अंकेक्षक के कार्य सम्पादन के प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा की जाय। इन सूचनाओं के आधार पर ही अन्य उच्चस्तरीय वार्ता एवं अंकेक्षक के परिवर्त्तन के लिए पत्राचार/प्रयास किया जायगा ।
130.3	दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :— "THAT the 33rd Annual General Meeting of the Company for the year ended 31 March, 2008 be convened on ....at .... am/pm in the Chamber of Secretary, Food & Consumer Protection Department, Old Secretariate, Patna and the Managing Director is hereby authorised to issue notice as per the draft placed before the Board. THAT the consent of the shareholders be obtained for holding the meeting at less than 21 days notice as required by Section 171 (2) of the Companies Act, 1956. THAT the Board hereby further authorises the Managing Director and one Director Shri..	अनुमोदित। (*i*) वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 2008 को सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की जाय एवं वार्षिक लेखा वर्ष 2007–08 सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत किये जायें। जिला इकाई के लेखा के विभिन्न मदों के आंकड़ों की समीक्षा कर सुधार की कार्रवाई की जाय । 21 दिन से कम अवधि में सामान्य बैठक आयोजित करने में स्वीकृति प्रदान की गई। प्रबंध निदेशक एवं श्री सुनील कुमार सिंह, निदेशक हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत किये गये । (*ii*) प्रस्तुत वार्षिक लेखा पर सम्यक् रूप से चर्चा हुई एवं निम्नांकित निर्णय लिये गये :— (a) Accrual के आधार पर तैयार लेखा के साथ–साथ Cash Flow भी प्रस्तुत किये जायें। (b) Shortage recoverable की राशि मात्र चालू वित्तीय वर्ष में ही 3.29 करोड़

क्र0 सं0	प्रस्ताव	निर्णय
	to sign Returns to be filed with the Registrar of Companies wherever required as per the provisions of the ACT."	रुपये है। यह एक काफी बड़ी राशि है। इसकी वसूली के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाय। कार्मिकों के पास भी Recoverable राशि काफी अधिक है। अतएव निगम के बकाये वसूली योग्य राशि को Public Demand Recovery Act के दायरे में लाने के लिए कानूनी सलाह प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाय । (c) स्टॉक एवं अचल सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन आवश्यक है। निगम के अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के द्वारा किये जा रहे भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त नियमित सत्यापन होना चाहिए। यह बताया गया है इस वर्ष के आन्तरिक अंकेक्षण कार्य में भौतिक सत्यापन का भी प्रावधान रखा गया है। निर्णय लिया गया कि भौतिक सत्यापन का कार्य अलग से Chartered Accountants को आवंटित कर नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में कराया जाय। भौतिक सत्यापन कार्य के लिये अलग से फी देय होगा । (d) तिमाही आय–व्यय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाय। (e) वार्षिक लेखा के विभिन्न आंकड़ों को देखने के पश्चात विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि निगम का विगत 10 वर्षों के लेखा के आंकड़ों से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में System एवं Software विकसित करने, कार्यप्रणाली एवं संगठन में सुधार के लिए एक स्पष्ट Terms of Reference तैयार कर L.N. Mishra Institute of Economic Development & Social Changes/ Chandragupta Institute of Management/Reputed Firms of Chartered Accountants को सौंपा जाय चयनियत संस्था/फर्म इन सभी लेखा की समीक्षा करने के उपरान्त निदेशक

क्र0 सं0	प्रस्ताव	निर्णय
		पर्षद को एक Presentation के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अपेक्षित सुधार लाने के संबंध में परामर्श देंगे ।
130.4	शेयर ट्रान्सफर से संबंधित प्रस्तुत प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की जाय ।	स्वीकृत
130.5	मुख्य मंत्री राहत कोष में तीन करोड़ रुपये के अनुदान के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाय।	स्वीकृत।
130.6	तीन वाहन को निष्प्रयोजित (Condemn) कर खुली निविदा के आधार पर निष्पादन करने के पश्चात् इसके एवज में तीन गाड़ियां खरीदने के प्रस्तुत प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की जाय।	स्वीकृत भविष्य में ऐसे मामलों में Cost Analysis कर Purchase अथवा Hire में जो भी लाभप्रद विकल्प हो तदनुसार कार्रवाई की जाय ।
130.7	प्रस्ताव है कि Data base Administrator, Data Entry Operator/ Programmer, सहायक लेखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रबंधक के प्रस्तावित पदों के सृजन में स्वीकृति प्रदान की जाय।	सीमित अवधि के लिए मात्र Contract पर पद सृजन में स्वीकृति दी गयी।
130.8	प्रस्ताव है कि Database Administrator का एक पद, Data Entry Operator/Programmer का 05 पद, सहायक लेखा पदाधिकारी का 18 पद, सहायक प्रबंधक का 133 पद, निजी सहायक का 02 पद एवं आशुटंकक के 03 पदों पर संविदा के आधार पर खुले बाजार अथवा निगम/बोर्ड से Consolidated पारिश्रमिक पर सीमित अवधि के लिए नियुक्ति में स्वीकृति प्रदान की जाय ।	स्वीकृत (*i*) चयन की प्रक्रिया निर्धारित की जाय जिसमें पारदर्शिता परिलक्षित हो। (*ii*) गोदाम एवं गोदाम प्रबंधक का कार्यकलाप Rationalized किये जायें। (*iii*) कार्मिक का Engagement Contract पर मात्र 11 माह के लिए हो एवं 11–11 माह का अवधि विस्तार कार्यकलाप संतोषप्रद पाये जाने पर किया जाय । (*iv*) आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय ।

क्र0 सं0	प्रस्ताव	निर्णय
		(*v*) शैक्षणिक योग्यता प्रस्तावित सभी पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान का होना चाहिए। सहायक लेखा पदाधिकारी के मामले में अनुभव सरकारी/अर्द्ध–सरकारी/लोक उपक्रम अथवा निजी संस्थान का होना चाहिए। सहायक लेखा पदाधिकारी के मामले में निजी क्षेत्र की कम्पनी जिसका वार्षिक Turn-over कम से कम दस (10) करोड़ रुपये का हो, का पाँच वर्षों का कार्यानुभव प्राप्त हो। Chartered Accountant Firm जिसका Turn-Over कम से कम बीस (20) लाख रुपये हो, में दस वर्षों का कार्यानुभव हो। निजी सहायक एवं आशुटंकक के पदों पर जो सरकारी उपक्रमों में कार्यरत हैं, को प्राथमिकता दी जायेगी। सभी पदों के लिए कम्प्यूटर दक्षता अनिवार्य होगी। (*vi*)वित्तीय भार का आकलन एवं भुगतान का स्रोत अगली बैठक में बताया जाय। (*vii*) निजी सहायक एवं आशुटंकक के पद नियमित स्थापना के स्वीकृत पद हैं। इसके विरुद्ध चयन के लिए पूर्व में प्रयास नहीं किये गये हैं।
130.9	प्रस्ताव है कि निगम मुख्यालय सोन भवन में पदाधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए 22 वर्ष पूर्व के बने हुए लकड़ी के कक्ष क्षतिग्रस्त हो जाने एवं कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सुन्दर एवं सुसज्जित वातावरण के मुख्यालय का Renovation and interior work का कार्य Infrastructure Development Authority. को अनुमानित 106.08 लाख	**स्वीकृत** (*i*) Fitting, Fixture आदि विशिष्ट गुणवत्ता का ही हो। (*ii*) System के Wiring की व्यववस्था पूरे कार्यालय एवं कक्षों के लिए पर्याप्त रूप में हो। LAN, Internet आदि की Wiring भी साथ में हो जिससे कार्यालय पूर्णरूपेण Automated हो ।

क्र0 सं0	प्रस्ताव	निर्णय
	रुपये पर यथा Estimation, Tender. Execution of work. Supervision. Preparation of R.A. and Final Bill आदि की सम्पूर्ण जिम्मेवारी सौंपने में स्वीकृति प्रदान की जाय।	(*iii*) निगम का पटना में अपने जमीन को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्रवाई की जाय।
130.10	चतुर्थवर्गीय कार्मिकों को बिहार सरकार के संकल्प संख्या 5961, दिनांक 17 अगस्त, 2007 द्वारा वेतन में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाय ।	दिनांक 1 सितम्बर, 2008 के प्रभाव से स्वीकृत।
130.11	प्रस्ताव है कि 5.50 लाख रुपये के अनुमानित लागत पर कम्प्यूटर–10, लेजर प्रिन्टर–03, offline 500 V A power backup- 16 Units, Scanner-01, High Speed DMP-01, 8 Port Hub-03, Fax Machine - 02 के क्रय में तथा पुराने कम्प्यूटर को निविदा/नीलामी द्वारा बिक्री में स्वीकृति प्रदान की जाय ।	**स्वीकृत।** क्रय प्रबंध निदेशक के द्वारा DGS& D अथवा खुली निविदा अथवा बेलट्रोन के माध्यम से की जाय जिसे उपयुक्त पाया जाय। सभी Purchases विशिष्ट गुणवत्ता वाले एवं Licensed हो।
130.12	प्रस्ताव है कि निगम में चिकित्सा अग्रिम/चिकित्सा व्यय का भुगतान के मामलों में घटनोत्तर स्वीकृति तथा निगम कर्मियों की चिकित्सा नियमावली को बिहार सरकार अनुरूप संशोधन करने में स्वीकृति प्रदान की जाय ।	**स्वीकृत।** (*i*) बिहार चिकित्सा नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव दिये जायें। (*ii*) अग्रिम के विरुद्ध विपत्र प्राप्त कर नियमानुसार स्वीकृति की कार्रवाई की जाय। यदि विपत्र संबंधित कार्मिकों/पदाधिकारियों को दिये गये अग्रिम से कम हो तो इसकी वसूली संबंधित कार्मिक/पदाधिकारी से निर्धारित प्रावधान के अन्तर्गत कर ली जाय। (*iii*) चिकित्सा अग्रिम/व्यय के मामलों में विभागीय सचिव को प्रदत्त शक्ति के अनुरूप प्रबंध निदेशक प्राधिकृत।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

(ह0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,

ज्ञापांक–6171 दिनांक 30 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि—सभी निदेशकगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) अस्पष्ट,
प्रबंध निदेशक।

परिशिष्ट–2

MINUTES OF SPECIAL ANNUAL GENERAL MEETING OF BIHAR STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED HELD ON FRIDAY THE 16th JULY, 2010 AT 04.00 PM IN THE OFFICE CHAMBER OF PRINCIPAL SECRETARY, FOOD, SUPPLY & COMMERCE DEPARTMENT, BIHAR PATNA.

PRESENT

1.	Shri Tripurari Sharan, IAS	-	Principal Secretary, Food & Consumer Protection Department, Bihar, Patna. **Shareholder**
2.	Shri Tripurari Sharan, IAS	-	Principal Secretary, Food & Consumer Protection Department, Bihar, Patna. Representative of Governor of Bihar
3.	Shri Pradip Kumar, IAS	-	Managing Director Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Limited

Shri Tripurari Sharan, Shareholder presided over either of the Share-holders have been obtained for holding the meeting days notice ad required u/s171 (2) of the Companies Act. The Chairman as read the notice with agenda dated 14 July 2010 convening the Special Annual General Meeting.

The Following resolution was passed :

"That the amount of Rs. 1 (One crore in the year 2007 and Rs. 3 (Three) Crores in the year 2008 which was donated to Hon'ble Chief Minister's Relief Fund by order of the Board of Directors is hereby postfacto approved."

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

Sd/-

Chairman,

Memo No. 6506 Date-16.07.2010

Copy forwarded to Shareholders for information and necessary action.

Pradeep Kumar

Managing Director

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को 3.00 बजे अपराह्न में बिहार विधान सभा के विस्तारित भवन के कमरा संख्या– जी–25 को हुई, की कार्यवाही।

उपस्थिति

श्री हरि नारायण सिंह	सभापति
श्री अनिल सिंह	सदस्य
श्री ललन पासवान	सदस्य
श्री जितेन्द्र कुमार राय	सदस्य
श्री नीरज कुमार	सदस्य
श्री आलोक कुमार मेहता	सदस्य
श्री मुनेश्वर चौधरी	सदस्य

सभा सचिवालय

श्रीमती पूनम कुमारी	अवर–सचिव

महालेखाकार का कार्यालय

श्री सोहन लाल साहू	उ0 म0 ले0
श्री. सूजय कुमार सिन्हा	व0 ले0 पदा0 अ0 (प्र0)
श्री कुमार विकास	स0 ले0 प0 अ0 (कोपू)

विभागीय पदाधिकारी

श्री चन्द्रशेखर	अपर सचिव
श्री जफर आलम	डिप्टी जी0 एम0 ऑडिट
श्री सुगन्धय चतुर्वेदी	जी0 एम0 फाईनेन्स
श्री प्रफ्फुल कुमार आर्य	अवर–सचिव

सभापति—पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है कि श्री पंकज कुमार, सचिव एवं एम0 डी0 मुख्यमंत्री महोदय के समीक्षा यात्रा में शामिल होने के कारण आज की बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उनके स्थान पर श्री चन्द्रशेखर, अपर सचिव की प्रतिनियुक्ति की गई है।

समिति की अगली बैठक में सचिव निश्चित रूप से समिति की बैठक में भाग लें।

आप पूरी तरह से तैयार होकर आये हैं ?

सभापति—हमलोगों की तरफ से पहले भी जवाब आया है और दुबारा भी भेजा गया है।

उ0 म0 ले0—अद्यतन जवाब मुझे प्राप्त नहीं है, पहले का ही जवाब है।

श्री ललन पासवान—तो फिर क्या मिटिंग होगी ?

वर्ष 2008–09 की कंडिका–4.2

श्री ललन पासवान—वर्ष वार प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाय, यह भी डिटेल दिया जाय कि किस समय की घटना है, किस तारीख को घटना घटी और इस संबंध में केस हुये या नहीं।

सभापति—पहले कंडिका 4.2 के बारे में बतला दिया जाय।

अपर सचिव—हमने जो जवाब भेजा है उसके साथ सभी संलग्न किये गये हैं। इसमें यह आपति की गई थी कि जो भैकिल यूज किये गये थे वे डाऊटफुल हैं, भैकिल के जो रजिस्ट्रेशन थे वे डाउटफूल होने के कारण यह संदेह किया गया कि इसमें गबन हुआ है। इसकी जाँच कराई गई थी और कहीं भी इस तरह के मामले नहीं पाये गये, सभी के सामने अनाज का वितरण किया गया था, डी० एम० साहब के सामने भी अनाज का वितरण किया गया था। इस सभी का जवाब दिया गया है साथ जवाब के साथ परिशिष्ट भी लगाये गये हैं।

सभापति—ऑडिट ऑबजेक्शन में यह था कि जो भैकिल यूज किये गये थे उनके रजिस्ट्रेशन नम्बर गलत पाये गये थे। आप कह रहे हैं कि गबन नहीं हुआ है, जबकि आपके जवाब में ऐसा कुछ नहीं है।

वरीय लेखा पदाधिकारी—33 गाड़ी जो यूज किये गये थे, डी० टी० ओ० से जानकारी प्राप्त करने के बाद पता चला कि ये रजिस्ट्रेशन नम्बर मोटर साईकिल के थे, जीप के थे, ट्रैक्टर के थे, जिनसे माल का परिवहन नहीं हो सकता है। किस माध्यम से यह कार्य किया गया यह संदेहात्मक है।

उ० म० ले०—आठ वाहन ऐसे थे, जिन पर वाहन के नम्बर ही नहीं थे।

सभापति—ऑडिट ऑबजेक्शन में यह बात आई है कि बिना रजिस्ट्रेशन नं० की गाड़ी से माल की ढुलाई की गई तथा दूसरे वाहन के नम्बर का यूज किया गया।

वरीय लेखा पदाधिकारी—रजिस्ट्रेशन नम्बर का जब भेरिफॉय किया गया तो, स्कूटर, ट्रैक्टर, आदि के नम्बर थे और 32 वाहनों में से 8 वाहन अस्तित्व में ही नहीं है।

श्री ललन पासवान—जांच में जब मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन नम्बर मिला तो इससे साफ है कि गबन हुआ है।

डिप्टी जी० एम० ऑडिट—जो चलान कटता है, मान लीजिए उसमें है बी० आर० क्यू०, इसका जैरोक्स कॉपी ऑफिस में आता है और हमारी ऑफिस की स्थिति यह है कि वहां हमारे स्टाफ है नहीं, चतुर्थ ग्रेड के स्टाफ से काम लिया जाता है, उसने बी० आर० क्यू० के जगह पर बी० आर० ओ० लिख दिया जो बाद में पता चला कि यह स्कूटर का नम्बर है।

सभापित—ऐसा नहीं हो सकता है, यह गबन का मामला है।

श्री मुनेश्वर चौधरी—ये जो 32 वाहनों का हेर–फेर दिया गया तो उसमें कितने अनाज इनभौल्भ हैं ?

वरीय लेखा पदाधिकारी—3,115 क्वींटल है जिसका दाम 25 लाख हुआ।

श्री मुनेश्वर चौधरी—ए० जी० का जो ऑबजेक्शन है उससे हम संतुष्ट हैं और आपके जवाब से असंतुष्ट हैं। 32 वाहनों के हेराफेरी कर 25 लाख का गबन का मामला है, इसमें विभाग को क्या कहना है ?

अपर सचिव—हमने जवाब के साथ जो परिशिष्ट लगाया है उसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। बाढ़ का समय था उस समय पीड़ितों को सामान क्वीक पहुंचाना था, चूंकि अरजेन्ट मामला था और तुरंत प्रायरिटी बेसिस पर इसको करना था।

सभापित—क्वीक डिसपोजल करना था तो क्या सामान मोटरसाईकिल से जायेगा ? जिस

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो उसका उपयोग किया गया, मोटर साईकिल एवं स्कूटर का उपयोग किया गया । यह गंभीर मामला है।

श्री मुनेश्वर चौधरी—एक दो वाहन में मिसटेक हो सकता है लेकिन 32 गाड़ियों में मिसटेक कैसे होगा ?

अपर आयुक्त—32 वाहनों के बारे में जिला परिवहन पदाधिकारी ने रिपोर्ट बनाकर दी है। जो-जो ऑबजेक्शन उठाये गये थे उन पर डी० टी० ओ० ने निबंधन के साथ रिपोर्ट दी है।

सभापति—समिति के समक्ष डी० टी० ओ० की रिपोर्ट है नहीं । ए० जी० का जो ऑडिट ऑबजेक्शन है उसकी सम्पुष्टि परिवहन विभाग की रिपोर्ट से हो रही है।

श्री ललन पासवान—यदि आपने ट्रैक्टर लिया तो ट्रैक्टर ही लिखते, गाड़ी का नम्बर आपने क्यों नहीं लिखा ? जो वाहन माल ढोते हैं उसका आप पेमेंट भी करते हैं ।

श्री मुनेश्वर चौधरी—डी० टी० ओ० की रिपोर्ट आपने समिति को दिया नहीं।

अपर सचिव—यह रिपोर्ट वर्ष 2009 की ही है। उसकी कॉपी हम प्राप्त करा देते हैं।

श्री मुनेश्वर चौधरी—सभापति महोदय, इसमें मेरा अनुरोध है कि इस कंडिका को पेन्डिंग किया जाय और इस पर डिटेल डिसकशन बाद में करेंगे ।

समापित—कंडिका 4.2, एक गंभीर मामला है, गबन का सवाल है, वाहनों को जो उपयोग किया गया वह संदेहात्मक है, जो ढुलाई हुई है वह संदेहात्मक है, इसलिए इसको पेन्डिंग किया जाता है। अगली बैठक में विभाग पूरी तरह से तैयार होकर आये ।

टर्न–2 / ज्योति / उपक्रम
14.12.2017

वित्तीय वर्ष 2009–10 की कंडिका 4.1

वरीय लेखा पदाधिकारी—अद्यतन जवाब की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

डिप्टी जी० एम० ऑडिट—2007 का मामला है और जवाब दिया गया है 30 जून, 2015 को।

अपर सचिव—1 करोड़ 2007 में दिया गया और 3 करोड़ बाद में 2008 में दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से घटनोत्तर स्वीकृति ली गयी है।

वरीय लेखा पदाधिकारी—यह कंपनी ऐक्ट का उल्लंघन है। बिना प्रायर एप्रूभल के मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान नहीं दे सकते हैं।

अपर सचिव—बाढ़ आयी तो दे दिया।

वरीय लेखा पदाधिकारी—नियम का उल्लंघन लगातार बार–बार ये कर रहे हैं।

अपर सचिव—ऑडिट औब्जेक्शन के बाद नहीं दिया गया है।

वरीय लेखा पदाधिकारी—इस मामले में रजिस्ट्रार कंपनी से भी पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं है।

सभापति—घटनोत्तर स्वीकृति जो दी गयी वह गलत है। मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया गया है जिसका उपयोग जनहित मे होता है इस घटना की पुनरावृति भविष्य में न हो इस निदेश के साथ इस कंडिका को निष्पादित किया जाता है।

कंडिका संख्या 4.2 (क)

वरीय लेखा पदाधिकारी—कंपनी अधिनियम में प्रावधान है कि 6 महीना बीतने के बाद एकाउंट्स बनाया जाय और उसके स्टैचुट्री औडिट कराने के बाद इसका अंतिमीकरण किया जाय। साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन हर वर्ष देना है लेकिन 20 वर्षों से यह नहीं दिया जा रहा है। इनकी प्रगति बहुत धीमी है।

डिप्टी जी० एम० औडिट—निगम स्तर पर 14–15 तक का एकाउंट्स फाईनलाईज है। 2015–16, 2016–17 का अन्डर प्रौसेस है। स्टैचुट्री ऑडिट कराने की जहाँ तक बात है उसका एप्वायंटमेंट सी० ए० जी० द्वारा होता है। डिस्ट्रीक्ट का अलग–अलग ऑडिट 2002–03 तक का कंपलीट है। सभी जिलों का मिलाकर ऑडिट रिपोर्ट 1996–97 तक का जमा हो गया है और 1997–98 और 1998–99 का जमा होना बाकी है। स्टैचुट्री औडिट के लिए सी० ए० जी० पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमलोग बराबर चिट्ठी देते जा रहे हैं। रिपोर्ट उन्हीं को देना है हमारी कोई भूमिका इसमें नहीं हो सकती है और उनपर हम ऐक्शन भी नहीं ले सकते हैं हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं ।

वरीय लेखा पदाधिकारी—कंपलीट एकाउंट्स देंगे तो ऑडिट करेंगे। इनको इस मामले में अपना स्पीड तेज करना होगा ।

बि० स० मु०–116–(एल० ए०)–2019–20–डी० टी० पी०–500